भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2025

28 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

पीएम स्वनिधि योजना

2025. डॉ. राजश्री मल्लिक:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) योजना, 2020 के लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए कोई मानदंड तय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के प्रारंभ से लेकर आज की तिथि तक राज्य-वार और वर्ष-वार पंजीकृत पात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान ओडिशा राज्य में लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ वहां संवितरित निधि का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किस ब्याज दर पर ऋण संवितरित किया जा रहा है;

(च) केंद्र सरकार और लाभार्थियों द्वारा वहन की जाने वाली राजसहायता के हिस्से का प्रतिशत कितना है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से संवितरण के लिए विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख) प्रधान मंत्री पथ विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत, 24 मार्च, 2020 या उससे पहले से शहरी क्षेत्रों में पथ बिक्री में लगे सभी पथ विक्रेता इसके पात्र हैं। इन पथ विक्रेता के पास संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया पथ विक्रेता प्रमाण-पत्र (सीओवी) या सिफारिश पत्र (एलओआर) होना चाहिए।

(ग) योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार पंजीकृत पात्र लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ओडिशा राज्य में लाभार्थियों की संख्या और संवितरित ऋण राशि को दर्शाने वाला यूएलबी-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ड.) पीएम स्वनिधि योजना के तहत, ऋणदाता संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार है।

(च) ईएमआई की समय पर अदायगी करने पर केंद्र सरकार द्वारा तिमाही आधार पर 7% की ब्याज सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। सब्सिडी पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है ।

(छ) पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। लाभार्थियों को संवितरित करने के लिए राज्यों को कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है। ऋणदाता संस्थाओं द्वारा ऋण राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा ब्याज सब्सिडी और कैशबैक का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संवितरित ऋण राशि, कैशबैक और भुगतान की गई ब्याज सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

*****

दिनांक 28 जुलाई, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2025 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान पंजीकृत पात्र लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(19.07.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	430	82	3
2	आंध्र प्रदेश	1,50,324	77,475	2,166
3	अरुणाचल प्रदेश	3,493	1,083	174
4	असम	29,527	65,182	2,451
5	बिहार	69,656	24,531	1,143
6	चंडीगढ़	3,042	1,963	343
7	छत्तीसगढ़	68,609	11,893	2,444
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	2,011	164	10
9	दिल्ली	48,196	21,948	21,477
10	गोवा	1,239	258	7
11	गुजरात	1,46,537	1,68,420	11,541
12	हरियाणा	31,341	19,553	1,418
13	हिमाचल प्रदेश	3,247	539	45
14	जम्मू और कश्मीर	14,618	2,977	342
15	झारखंड	34,193	13,263	1,547
16	कर्नाटक	1,81,419	37,202	6,259
17	केरल	9,452	1,644	596
18	लद्दाख	272	13	10
19	मध्य प्रदेश	4,20,384	2,08,701	11,288
20	महाराष्ट्र	2,52,219	45,187	9,038
21	मणिपुर	14,548	2,088	10
22	मेघालय	351	392	285
23	मिजोरम	530	43	20
24	नागालैंड	1,815	570	52
25	ओडिशा	48,034	8,010	1,328

26	पुदुचेरी	1,437	81	23
27	पंजाब	68,382	19,277	2,046
28	राजस्थान	1,04,179	19,649	357
29	सिक्किम	3	-	-
30	तमिलनाडु	2,30,165	1,06,792	3,362
31	तेलंगाना	3,93,468	8,975	1,187
32	त्रिपुरा	3,670	704	108
33	उत्तर प्रदेश	6,82,226	1,36,600	49,887
34	उत्तराखंड	13,923	2,471	1,087
35	पश्चिम बंगाल	12,134	17,963	563
	कुल	**30,45,074**	**10,25,693**	**1,32,617**

दिनांक 28 जुलाई, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2025 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ओडिशा राज्य में पंजीकृत पात्र लाभार्थियों की संख्या और संवितरित धनराशि का यूएलबी-वार विवरण

(19.07.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22	
		लाभार्थियों की संख्या	संवितरित ऋण राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित ऋण राशि (लाख रु. में)
1	आनंदपुर	61	6.10	27	2.70
2	अनुगुल	101	9.90	5	0.50
3	असिका	122	11.70	65	7.30
4	अथागड़	159	15.90	33	3.90
5	अथमल्लीक	96	9.60	6	0.60
6	अट्टाबीरा	54	5.10	1 1	1.30
7	बालंगीर	145	14.35	58	5.80
8	बालेश्वर	578	57.41	120	14.46
9	बालीगुडा	25	2.45	17	1.70
10	बालीमेला	-	-	-	-
11	बालूगांव	19	1.90	3	0.30
12	बानापुर	56	5.60	24	2.40
13	बांकी	99	9.85	15	2.40
14	बारापली	85	8.20	10	1.20
15	बारबिल	42	4.20	4	0.40
16	बारगढ़	517	46.44	72	7.90
17	बारीपेड़ा	391	38.90	146	16.45
18	बासूदेवपुर	108	10.50	53	6.70
19	बेलागुन्था	45	4.50	2	0.20
20	बेलपहाड़	95	9.50	39	5.30
21	बेरहामपुर	1,396	139.16	368	49.06
22	भद्रक	424	41.45	114	12.30
23	भंजनगर	163	16.30	20	2.10
24	भवानीपटना	120	12.00	39	4.80
25	भुबन	176	17.60	15	1.50

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22	
		लाभार्थियों की संख्या	संवितरित ऋण राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित ऋण राशि (लाख रु. में)
26	भुवनेश्वर	6,395	637.14	3,020	327.26
27	बीजेपुर	36	3.60	12	1.20
28	बिनिका	47	4.70	16	1.60
29	बीरामित्रपुर	36	3.60	13	1.30
30	बौधगढ़	42	4.20	1	0.10
31	ब्रजराजनगर	37	3.45	60	6.60
32	बुगुडा	53	5.30	4	0.40
33	चंपुआ	53	5.30	8	0.80
34	चंदाबली	115	11.05	105	10.50
35	छत्रपुर	189	18.85	15	2.10
36	चिकिटि	48	4.80	5	0.35
37	चौद्वार	52	5.20	12	1.40
38	कटक	2,777	274.29	1,021	130.13
39	दासपल्ला	84	8.40	18	1.90
40	देबगढ़	45	4.48	7	0.70
41	धामानगर	39	3.35	3	0.30
42	धर्मगढ़	19	1.85	8	0.80
43	ढेंकनाल	230	22.80	6	0.60
44	डिगपहंडी	55	5.50	52	5.80
45	जी. उदयगिरि	41	4.07	10	1.80
46	गंजम	18	1.80	14	1.40
47	गोपालपुर	124	12.29	54	5.22
48	गुडारी	8	0.80	-	-
49	गुनुपुर	43	4.30	24	2.40
50	हिंडोल	23	2.30	1	0.10
51	हिंजिलिकुट	51	5.03	30	3.00
52	जगतसिंहपुर	90	8.85	42	4.70
53	जाजापुर	147	14.65	88	11.85
54	जलेश्वर	28	2.80	7	0.70
55	जटानी	181	17.45	30	3.00
56	जेपुर	362	35.90	10	1.80

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22	
		लाभार्थियों की संख्या	संवितरित ऋण राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित ऋण राशि (लाख रु. में)
57	झारसुगुडा	252	24.05	7	0.80
58	जोडा	36	3.50	19	1.90
59	जूनागढ़	25	2.50	3	0.30
60	कमाख्यानगर	62	6.20	15	1.50
61	कांताबंजी	67	6.70	16	1.80
62	करंजिया	194	19.40	28	2.80
63	कसीनगर	19	1.90	2	0.20
64	कविसूर्यनगर	13	1.30	1	0.10
65	केंद्रपाड़ा	120	12.00	6	0.90
66	केंदुझार	52	5.00	14	1.60
67	केसिंगा	23	2.28	1 1	1.10
68	खलीकोटे	49	4.90	39	4.40
69	खंडपाडा	38	3.80	1	0.10
70	खारियर	26	2.60	44	4.40
71	खरियार रोड	111	11.10	10	1.00
72	खोरधा	206	20.28	34	3.70
73	कोचिंडा	86	8.60	12	1.20
74	कोडला	5	0.50	13	1.30
75	कोणार्क	431	42.30	4	0.70
76	कोरापुट	200	19.20	32	4.11
77	कोटपाड़	31	3.10	-	-
78	मल्कानगिरी	73	7.25	5	0.60
79	नबरंगपुर	135	13.09	20	3.80
80	नयागढ़	102	9.87	33	3.50
81	नीलगिरी	6	0.55	19	2.00
82	निमापाड़ा	40	4.00	5	0.60
83	नुआपाड़ा	33	3.15	-	-
84	ओडोगाँव	48	4.80	4	0.40
85	पद्मपुर	34	3.40	8	0.80
86	परादीप	220	21.95	49	5.70
87	परलाखेमुंडी	242	23.90	18	2.20

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22	
		लाभार्थियों की संख्या	संवितरित ऋण राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित ऋण राशि (लाख रु. में)
88	पटनागढ़	35	3.41	4	0.40
89	पट्टामुंडई	108	9.85	20	2.00
90	फूलबनी	171	17.10	75	10.80
91	पिपिली	8	0.80	9	1.00
92	पोलासरा	47	4.70	8	0.80
93	पुरी	1,884	186.97	341	53.89
94	पुरुषोत्तमपुर	68	6.80	101	8.30
95	रायरंगपुर	83	8.30	25	2.60
96	राजगंगापुरी	129	12.35	-	-
97	रंभा	37	3.55	23	2.85
98	राणापुर	40	4.00	7	0.70
99	राउरकेला	2,052	200.51	665	83.70
100	रायगडा	196	19.41	24	2.50
101	रेडाखोल	115	11.20	21	3.10
102	संबलपुर	1,905	190.39	404	45.80
103	सोनापुर	122	11.74	25	2.90
104	सोरो	30	2.82	18	1.80
105	सुनबेदा	115	11.50	1	0.10
106	सुंदरगढ़	219	21.70	36	5.10
107	सुराड़ा	108	10.80	53	5.70
108	तालचेर	82	8.20	3	0.30
109	तरभा	40	4.00	13	1.70
110	टिटलागढ़	198	19.80	68	7.10
111	तुसुर	17	1.70	32	3.40
112	उदल	19	1.90	12	1.20
113	उमरकोट	103	10.30	17	1.70
114	व्यासनगर	29	2.82	17	1.47
	कुल	27,484	2,716.51	8,456	985.49

दिनांक 28 जुलाई, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2025 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

संवितरित ऋण राशि; प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान किया गया कैशबैक और ब्याज सब्सिडी को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(19.07.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संवितरित ऋण राशि (लाख रु. में)	संवितरित कैशबैक (लाख रु. में)	संवितरित ब्याज सब्सिडी (लाख रु. में)
1	**अंडमान व निकोबार द्वीप समूह**	**61.79**	**0.08**	1.28
2	**आंध्र प्रदेश**	**22,365.58**	**101.08**	300.49
3	**अरुणाचल प्रदेश**	**344.90**	**0.48**	5.81
4	**असम**	**6,311.48**	**7.94**	71.73
5	**बिहार**	**5,110.68**	**13.65**	97.06
6	**चंडीगढ़**	**455.45**	**2.79**	8.46
7	**छत्तीसगढ़**	**5,568.10**	**18.89**	102.80
8	**दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली**	**134.89**	**0.70**	3.19
9	**दिल्ली**	**4,623.18**	**24.56**	71.99
10	**गोवा**	**173.02**	**0.35**	3.43
1 1	**गुजरात**	**25,732.95**	**64.33**	353.86
12	**हरियाणा**	**3,332.40**	**11.52**	54.46
13	**हिमाचल प्रदेश**	**501.43**	**1.09**	9.06
14	**जम्मू और कश्मीर**	**1,735.81**	**1.85**	36.36
15	**झारखंड**	**3,434.35**	**12.89**	72.00
16	**कर्नाटक**	**18,907.88**	**85.81**	343.35
17	**केरल**	**1,424.89**	**3.03**	27.07
18	**लद्दाख**	**49.00**	**0.03**	0.73
19	**मध्य प्रदेश**	**60,483.52**	**205.44**	965.10
20	**महाराष्ट्र**	**24,148.36**	**124.60**	482.78
21	**मणिपुर**	**908.51**	**1.04**	16.69
22	**मेघालय**	**87.70**	**0.03**	0.96
23	**मिजोरम**	**69.10**	**0.04**	1.10
24	**नागालैंड**	**196.15**	**0.23**	3.66

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संवितरित ऋण राशि (लाख रु. में)	संवितरित कैशबैक (लाख रु. में)	संवितरित ब्याज सब्सिडी (लाख रु. में)
25	**ओडिशा**	**4,109.65**	**21.59**	88.58
26	**पुदुचेरी**	**161.11**	**0.57**	3.26
27	**पंजाब**	**4,453.80**	**8.96**	87.59
28	**राजस्थान**	**6,810.17**	**42.32**	155.14
29	**सिक्किम**	**0.10**	**0.00**	0.00
30	**तमिलनाडु**	**19,168.79**	**46.22**	354.34
31	**तेलंगाना**	**46,980.46**	**285.23**	821.93
32	**त्रिपुरा**	**354.17**	**0.20**	5.94
33	**उत्तर प्रदेश**	**93,972.98**	**200.75**	1,164.11
34	**उत्तराखंड**	**1,262.91**	**3.42**	25.43
35	**पश्चिम बंगाल**	**1,370.00**	**2.69**	22.47
	कुल	**364,805.26**	**1,294.40**	5,762.22